पत्रांक : 7/स्थानीयता नीति 14-02/2010 का0......6689...../

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

प्रमोद कुमार तिवारी,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/
विभागाध्यक्ष/सभी विभाग
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक...24....जुलाई, 2013

विषय :— जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्र संख्या–3540 दिनांक–03.07.2004 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उक्त पत्र में यह अंकित है कि " अनुमंडल पदाधिकारी से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र नौकरी एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने हेतु मान्य नहीं होगा"।

विभागीय पत्र संख्या– 7072 दिनांक– 30.12.2003 में स्पष्ट किया गया है कि आरक्षण का लाभ तभी दिया जाय जब अभ्यर्थी का जाति प्रमाण–पत्र झारखण्ड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, जो कम–से–कम अनुमंडल पदाधिकारी से अन्यून स्तर के पदाधिकारी होगें।

इस प्रकार पत्र संख्या–3540 दिनांक–03.07.2004 द्वारा जारी निदेश त्रुटिपूर्ण पाया गया है । इसे निम्न रूप में संशोधित माना जाय।

"अनुमंडल पदाधिकारी से न्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र नौकरी एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने हेतु मान्य नहीं होगें"।

यह पत्र उसी तिथि से प्रभावी माना जाएगा जिस तिथि से संख्या–3540 दिनांक–03.07.2004 प्रभावी है।

विश्वासभाजन,

(प्रमोद कुमार तिवारी)
सरकार के उप सचिव।